HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 95/2026

In

S.B. Criminal Appeal No.2966/2025

1. Sayyad Taushif Chisti @ Chinki Son Of Sayyad Sayyad Tarik Ahamad Chisti, Aged About 37 Years, Resident Of Dost Manzil, Chhota Chowk, Khadim Mohalla, Police Station Dargah, Ajmer (Rajasthan) (At Present In Central Jail, Ajmer)
2. Sayyad Fakar Jamali Son Of Shri Sayyad Juber Jamali, Aged About 42 Years, Resident Of Shabir Manzil, Near Charhat Masjid, Bada Chowk, Khadim Mohalla, Police Station Dargah, Ajmer (Raj.) (At Present In Central Jail, Ajmer)

----Petitioners

Versus

The State Of Rajasthan, Through P.p

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 2272/2025

In

S.B. Criminal Appeal No.2966/2025

Sayyad Tarik Chisti Son Of Shri Sayyad Gayur Ahamad Chisti, Resident Of Dost Manzil, Chhota Chowk, Khadim Mohalla, Police Station Dargah, Ajmer (Rajasthan) (At Present In Central Jail, Ajmer)

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through P.p

----Respondent

For Petitioner(s) : श्री कमलाकर शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता मय
श्री असद अली
मि. नैना सर्राफ
श्री अरूण कुमार शर्मा

श्री सुनील त्यागी

For Respondent(s) : श्री ओंकार सिंह राजपुरोहित, लोक अभियोजक

श्री दीपक चौहान

श्री हर्ष जोशी

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

Reserved on	::	**13/02/2026**
Pronounced on	::	**26/02/2026**

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से विचारण न्यायालय **अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) अजमेर** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**54/2016, सरकार बनाम सैयद तोषिफ चिश्ती वगैरह** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **07.11.2025** के विरूद्ध ये पृथक–पृथक सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम सात वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है ।

एक ही अपील से संबंधित होने से दोनों सजा स्थगन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका निवेदन है कि अपीलार्थी सैयद तारीक चिश्ती अग्रिम जमानत पर रहा है, शेष दो अभियुक्तगण सैयद तौषिफ चिश्ती व सैयद फकर जमाली विचारण के दौरान कुछ समय न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं तत्पश्चात वे जमानत पर रहे है । अपीलार्थीगण के यौग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि गवाहों के कथनों में विरोधाभास है । आहत सैयद बिलाल हुसैन चिश्ती का पर्चा बयान प्रदर्श पी–3 दर्ज किया गया है । घटना दिनांक 16.06.2014 की होना बतायी

गई है। पर्चा बयान के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है । पर्चा बयान व अन्य साक्षीगण की साक्ष्य में विरोधाभास है । अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह दानिश व बिलाल परिवादी के पुत्र को परीक्षित नहीं करवाया गया है। एक्सरे देरी से करवाया गया है । घटना में बिलाल अहमद को चोटें आना बतायी गई है तथा बांये हाथ की अंगूली कटकर घटनास्थल पर गिरना बताया गया है । अंगुली कब मिली, इन तथ्यों पर भी विरोधाभास है । आहत बिलाल अहमद को पहले थाने पर लेकर गए अथवा अस्पताल में लेकर गए, इन कथनों में विरोधाभास है । गवाह पी.ड.8 सैयद परवेज मोईन के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. घटना के 35 दिन बाद दर्ज किए गए है, इस प्रकार यह गवाह विश्वसनीय नहीं है । इस गवाह को बाद में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में तैयार किया गया है । गवाह पी0ड0.11 सैयद ताहीर अली चिश्ती को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाया गया है। बरामदगी खुले स्थान से की गई है, अतः बरामदगी संदेहास्पद है । स्वयं परिवादी के बयान पी.ड.2 के रूप में दर्ज हुए हैं, उसके कथनों में भी विरोधाभास है । रोजनामचा प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए सर्वप्रथम सूचना देने वाला कौन था, यह स्पष्ट नहीं हुआ है । पर्चा बयान में गवाह पी.ड.8 का नाम अंकित नहीं है ।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/अभियुक्त सैयद तारीक चिश्ती उस दिन अजमेर में मौजूद ही नहीं था। वह 15 तारीख को हनुमानगढ़ व 16 तारीख को जम्मू में था । इसी आधार पर सैयद तारीक चिश्ती का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.2014 को स्वीकार किया गया था । उक्त आवेदन पत्र का निस्तारण करते समय अनुसंधान अधिकारी पी.ड.13 भूपेन्द्र सिंह न्यायालय में उपस्थित था। उसने न्यायालय के समक्ष बताया कि घटना के समय सैयद तारीक चिश्ती जम्मू में था, वह घटना के समय शारीरिक रूप से घटना स्थल पर नहीं था। उनका यह भी तर्क रहा है कि उनके द्वारा सैयद तारीक चिश्ती के जम्मू में होने के संबंध में दस्तावेज प्रदर्श डी–3 व डी–4 प्रस्तुत किये गये हैं तथा दिनांक 15.06.2014 को उन्होंने नारंग होटल

हनुमानगढ जंक्शन के बिल भी प्रस्तुत किए है जिन पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है । उनका यह भी निवेदन है कि अपील में उनके द्वारा जो आधार लिए गए हैं उसके आधार पर अपीलार्थीगण दोषमुक्त होने योग्य है। प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जावें।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक व योग्य अधिवक्ता परिवादी ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया। उनका निवेदन है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी बिलाल अहमद के साथ मारपीट की गई है, उसका पर्चा बयान प्रदर्श पी–3 केजुअल्टी वार्ड जे.एल.एन. अस्पताल अजमेर में लिया गया है , जिसमें आहत द्वारा तीनों अभियुक्तगण के विरूद्ध मारपीट किए जाने की साक्ष्य दी है । इस मारपीट में उसके सिर व शरीर के अन्य भागों पर चोटें आयी हैं तथा उसके बांये हाथ की अंगूली कटकर अलग हो गयी है । आहत की स्थिति अत्यन्त खराब होने पर उसका ईलाज जयपुर फोर्टीज अस्पताल में कराया गया है जिसके दस्तावेज प्रदर्श पी–39 रहे हैं जिसके अनुसार आहत बिलाल दिनांक 16.06.2014 को फोर्टीज अस्पताल जयपुर में भर्ती हुआ है तथा लम्बे समय तक उसका ईलाज भी चला है। उसे दिनांक 07.07.2014 को डिस्चार्ज किया गया है । उनका यह भी निवेदन है कि जे.एल.एन.अस्पताल में भर्ती होने का और डिस्चार्ज होने का दस्तावेज प्रदर्श पी–38 है जिसमें आहत की हालत को अंकित किया गया है तथा आहत को जहां जहां चोटें आयी हैं तथा जहां फैक्चर कारित हुआ है उसका डायग्राम भी अंकित है । इस प्रकार आहत के कथनों की पुष्टि मेडिकल साक्ष्य से भी होती है। जहां तक अपीलार्थी अभियुक्त सैयद तारीक चिश्ती का घटनास्थल पर मौजूद नहीं होने का बचाव लिया गया है, इस संबंध में उनका तर्क है कि बचाव के संबंध में उनके द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं वे विधि अनुसार साबित नहीं किए गए है । उनके द्वारा प्रदर्श डी–3 जम्मू का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, वह उर्दु में रहा है तथा उसका हिन्दी अनुवाद संबंधी दस्तावेज ही प्रस्तुत नहीं किया गया है । सैयद तारीक चिश्ती की ओर से नारंग होटल हनुमानगढ के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है, उसमें अपीलार्थी का नाम ही

अंकित नहीं है । ऐसी स्थिति में विचारण न्यायलाय द्वारा इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए उनके बचाव के संबंध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें सुसंगत नहीं माना है । उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण के विरूद्ध अन्य प्रकरण भी लंबित रहे हैं जिनमें कुछ का निस्तारण हो चुका है लेकिन इस प्रकरण के अलावा अन्य प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 27/2013 पुलिस थाना दरगाह, जिला अजमेर अन्तर्गत धारा 307 व 352 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन विचाराधीन है । इस घटना में बिलाल अहमद को प्राणघातक चोटें आयी हैं तथा बांये हाथ की अंगूली कटकर अलग हो गई, जिसे देखकर आहत बिलाल अहमद को आज भी घटना याद आ जाती है । अपराध की प्रकृति गंभीर है। अपीलार्थीगण को आरोपित अपराधों में अधिकतम 7 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है जिसके मुकाबले इनकी अभिरक्षा अवधि बहुत कम है । अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जावें।

हमने उभयपक्षों के तर्कों व वितर्को पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य व सामग्री का अवलोकन किया । बचाव साक्ष्य, आहत पी.डी.2 के बयानों, आहत के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–4, डिस्चार्ज टिकट जे.एल.एन. अस्पताल अजमेर प्रदर्श पी–38, डिस्चार्ज टिकट फोर्टीज अस्पताल जयपुर प्रदर्श पी–39 व विचारण न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से प्रकट है कि विचारण न्यायालय ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए उक्त निर्णय व दण्डादेश पारित किया है। अपीलार्थीगण को आरोपित अपराधों में अधिकतम 7 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है जिसके मुकाबले इनकी अभिरक्षा अवधि बहुत कम है । अतः अनुसंधान व विचारण के दौरान आयी साक्ष्य व प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत ये सजा स्थगन प्रार्थना पत्र इस स्तर पर स्वीकार किये जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ।

परिणामतः अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **1. सैयद तौषिफ चिश्ती उर्फ चिंकी पुत्र सैयद सैयद तारिक अहमद चिश्ती, 2. सैयद तारीक चिश्ती पुत्र श्री**

सैयद गयूर अहमद चिश्ती व 3. सैयद फकर जमाली पुत्र श्री सैयद जुबैर जमाली की ओर से प्रस्तुत ये दोनो सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाते हैं ।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/reserve